395
10.9.15

न्यायालय राजस्व मण्डल (म0प्र0) ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्र0–................./2015

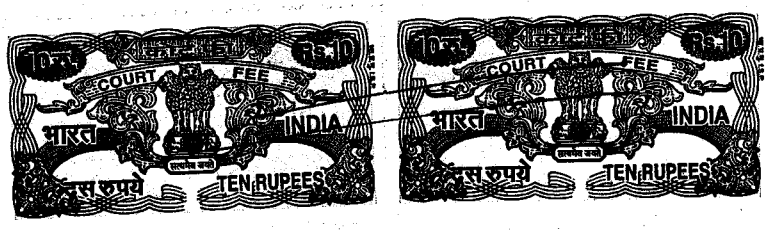

Rs 20/-

वीरन सिंह तनय स्व0 भगवानदीन सिंह, निवासी मोहल्ला करही रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) ————**आवेदक**

बनाम

1– पुरूषोत्तम सिंह तनय स्व0 भगवानदीन सिंह

2– राजाराम तनय रामफल

3– श्रीमती कुसुम सिंह पुत्री रामफल सिंह पत्नी रामखेलावन सिंह

4– उमाबाई सिंह पुत्र रामफल पत्नी लाल सिंह

5– प्रेमाबाई सिंह पुत्री रामफल सिंह पत्नी श्री सूरज सिंह

6– शीला सिंह पुत्री रामफल पत्नी श्री अनन्त सिंह

7– सुरेन्द्र सिंह तनय राजाराम सिंह,

8– रामजी सिंह तनय राजाराम सिंह

9– सुग्रीव सिंह तनय राजाराम सिंह

सभी निवासी राजनिवास के पीछे करही रीवा, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0) ————**अनावेदकगण**

श्री शिवप्रसाद द्विवेदी द्वारा आज दिनांक 10.9.15 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर
कमिश्नर कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा दिनांक 04/09/15 जो प्रकरण क्र0–247/अपील/96–97 में पारित

मान्यवर,

<u>पुनरीक्षण अन्य के अतिरिक्त निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–</u>

1– अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 04/09/15 सर्वथा विधि, विधान एवं न्यायिक प्रकिया तथा सिद्धान्तो के प्रतिकूल होने से निरस्त होने योग्य है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

केम्प–रीवा

प्रकरण कमांक निगरानी 3545 –तीन/2015 **जिला–सतना**

स्थान तथा दिनांक	बीरन सिंह कार्यवाही तथा आदेश पुरूषोत्तम	पक्ष कारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-10-2015	आवेदक की ओर से श्री शिव प्रसाद द्विवेदी, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को शीध्र सुनवाई के आवेदन पर से ग्राह्यता पर सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं, जिसके अनुसार मुख्य रूप से यह तथ्य बल पूर्वक आवेदक अभि0 द्वारा उठाया गया है, कि विवादग्रस्त भूमियों के संबंध में अपील मान. उच्च न्यायालय में लंबित है, जहां पर उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन भी पारित किया गया है । प्रकरण का अवलोकन किया गया एवं संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों का भी अवलोकन किया गया । प्रकरण में स्थगन होने संबंधी आदेश की प्रति अभिलेख में उपलब्ध नहीं है । आवेदक अभिभाषक द्वारा केवल माननीय उच्च न्यायालय के एस.ए.नंम्बर–229/2010 की छाया प्रति दी है, जिसमें लिखा है, कि पक्षकारों के मध्य विभाजन की कार्ययवाही जारी रखी जा सकती है, किन्तु अंतिम आदेश नहीं पारित किया जाए । मान. उच्च न्यायालय ने अगली पेशी जुलाई, 2010 में नियत की है । आवेदक द्वारा इस आगामी पेशी में तथा गत 5 वर्षो में मान. उच्च न्यायालय में क्या हुआ है, इस संबंध में कुछ नहीं बताया गया मेरे द्वारा अपर आयुक्त के आदेश दिनांक–4.9.15 का भी अवलोकन किया गया जिसके अनुसार प्रकरण में अभी कोई अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है, मात्र आवेदक बीरन सिंह द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि न होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है । उपरोक्त परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । पक्षकार सूचित हों । 29/10/15 सदस्य	